REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

रीजस्ट्री सं. डी. (डी.ए.न.)-127



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—लण्ड 3—उप-लण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

तई विल्ली, बृहस्पतियार, नार्च 7, 1991/फाल्गुन 16, 1912 No. 92] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 1991/PHALGUNA 16, 1912

> इस भाग में भिन्न पूछ संख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृष्ठ मलालय

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1991

सा.का.नि. 127 (ग्र): — केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन ग्रधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त ग्रक्तियों का प्रयोग करने हुए, इससे उपावढ़ श्रनुभूची के स्तभ 1 में विनिर्दिष्ट श्रधिनियमितियों का श्रनुसूची के स्तंभ 2 के सत्स्थानी प्रबिष्टि में विनिर्दिष्ट निबन्धनों श्रौर उपान्तरों के श्रधीन रहते हुए, इस ग्रधिसूचना की तारीख को हरियाणा राज्य में यथाप्रवत्त रूप में चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है:—

श्रनुसूची

न्नधिनियमिति	निबन्धन ग्र	निबन्धन श्रौर उपान्तर	
(1)		(2)	

 1. हरियाणा भावासन बोर्ड (संशोधन) अधि-नियम, 1976 (1976 का हरियाणा
 इरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के धारंभिक पैरा में "हरियाणा आवासन बोर्ड प्रधिनियम, 1971" शब्द और अंकों के अधिनियम सं. 28)

 स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त हरियाणा आवासन बोर्ड मधि-नियम, 1971" शब्द और श्रंक रखे जाएंगे।

647 GI/91

2. हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संगोधन) श्रधि- नियम, 1979 (1979 का हरियाणा श्रधि- ंनियम संख्या 20)	 हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संशोधन) ग्रधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, 1979 का उक्त ग्रधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— (i) धारंभिक पैरा में 'हरियाणा ग्रावासन बोर्ड ग्रधिनियम, 1971' शब्द ग्रौर ग्रंकों के स्थान पर ''चंडीगड़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त हरियाणा ग्रावासन बोर्ड ग्रधिनियम, 1971'' शब्द ग्रौर ग्रंक रखे जाएंगे; ग्रौर
	(ii) धारा 7क में जो कि मूल ग्रधिनियम में घतः स्थापित करने के लिए निर्दिप्ट की गई थी, शीर्ष ग्रौर पाठ दोनों में ''राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''प्रशासक'' शब्द रखा जाएगा ।
	 1979 के उक्त ग्रधिनियम की धारा 3 ढारा मूल ग्रधिनियम में प्रतिस्थापित करने के लिए निर्दिष्ट की गई धारा 72 में,——
	(i) शीर्ष में ''राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''प्रशासक'' शब्द रखा जाएगा;
	(ii) उपधारा (1) में, —
	(क) "राज्य सरकार" प्रब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा;
	(ख) "रखेगी'' शब्द के स्थान पर ''रखेगा'' शब्द रखा आएगा; झौर
	 (ग) "सकती है" शब्द जहां जहां वे ग्राते हैं उनके स्थान पर "सकता है" शब्द रखे जाएंगे ।
	(क) (iii) उपधारा (2) में
	खंड (ख) में ग्रौर उस खंड के परन्तुक में 'प्रशासक'' शब्द के स्थान पर शब्द ''विशेष श्वधिकारी'' ग्रौर ''राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''प्रशासक'' शब्द रखा जाएगा; श्रौर
	(ख) खंड (ग) में "राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''केन्द्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे ।
	3. 1979 के उक्त प्रधिनियम की धारा 4 का लोप किया जाएगा।
3. हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संशोधन) ग्रधि- नियम, 1980 (1980 का हरियाणा श्रधिनियम सं. 27)	 हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संशोधन) ग्राधिनियम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1980 का उक्त ग्राधिनियम कहा गया है की धारा 2 के ग्रारोंभिक पैरा में "हरियाणा ग्रावासन बोर्ड ग्रधिनियम, 1971" शब्द ग्रौर ग्रंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त हरियाणा श्रावासन बोर्ड ग्राधिनियम, 1971" शब्द ग्रौर श्रंक रखे जाएंगे।
	2. 1980 के उक्त भ्रधिनियम में सभी स्थानों पर ''मुख्य प्रशासक'' शब्द जहां- जहां वे ग्राते हैं उनके स्थान पर ''मुख्य कार्यपालक श्रधिकारी'' शब्द श्रौर ''राज्य 'सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''प्रशासक'' शब्द रखा जाएगा ।
	3. 1980 के उक्त ग्रधिनियम की धारा 3 में, उपभारा (4) जो कि मूल मधि- नियम में प्रतिस्थापन के लिए निर्दिष्ट की गई थी, के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, प्रर्थात् :
	"(4) बोर्ड में प्रशासक द्वारा नियुक्त किए गए एक ग्रध्यक्ष, एक मुख्य कार्यपालक ग्रधिकारी ग्रौर सात ग्रन्य सदस्य होंगे।'' ग्रौर परन्तुक का लोप किया जाएगा।
	4. 1980 के उक्त भ्रधिनियम की घारा 10 का लोप किया जाएगा।

2

[भाग II-सण्ड 3(i)]

भारत का राजपतः भसाधारण

3

 हरियाणा आवासन वोडं (संगोधन) मधि-नियम, 1986(1986 का हरियाणा अधिनियम सं. 10)

 हरियाणा भावासन बोर्ड (संगोधन) श्रधि-नियम, 1989 (1989 का हरियाणा ग्रधिनियम सं. 10)

- 1. हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संगोधन) ग्रधिनियम, 1986 की धारा 2 में,---(i) ग्रारंभिक पैरा में, "हरियाणा ग्रावासन बोर्ड ग्रधिनियम, 1971" शब्द ग्रौर ग्रंकों के स्थान पर ''चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में ययाप्रवृत्त हरियाणा ग्रावासन बोर्ड ग्रधिनियम, 1971" शब्द ग्रौर श्रंक रखे जाएंगे;
 - (ii) मूल ग्रधिनियम में ग्रन्तः स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट की गई घारा 72-ख में,---
 - (क) ''सरकार'' सब्द जहां-जहां भी माता है उसके स्थान पर ''प्रशासक'' सब्द रखा जाएगा; श्रीर
 - (ख). "मुख्य प्रशासक" शब्दों के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक झधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ग) शब्द "सकती है" जहां जहां वे झाते हैं उनके स्थान पर "सकता है" शब्द रखे जाएंगे।
- हरियाणा भावासन बोर्ङ (संशोधन) भ्रधिनियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, 1989 का उक्त भ्रधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—-
- (i) ग्रारंभिक पैरा में "हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971" शब्द भौर ग्रंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त हरियाणा ग्रावासन बोर्ड ग्रधिनियम, 1971" शब्द और ग्रंक रखे जाएंगे; ग्रौर
- (ii) मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए निर्विष्ट धारा 11 की उपधारा (2) के परन्तुक में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।
- 2. 1989 के उक्त ग्राधनियम की धारा 3 में,----
- (i) ग्रारंभिक पैरा में, "रख दिए आएंगे" शब्दों के स्थान पर "रखा आएगा" शब्द रखे आएंगे;
- (ii) पहले परन्सुक में जो कि मूल श्रधिनियम में प्रतिस्थापित किए आने के लिए निविष्ट किया गया था "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा; भौर
- (3) दूसरा परन्तुक जो कि मूल अधिनियम में जोड़े जाने के लिए निदिष्ट किया गया था, का लोप किया जाएगा।
- 3. 1989 के उक्त ग्रधिनियम की धारा 5 ग्रीर धारा 6 का लोप किया जाएगा।

[सं. यू.-11015/4/89-यूटी एल] एस. दत्ता, संयुक्त सचिष

उपाबन्ध-1

चण्डीगढ़ संध राज्यक्षेत्र को यथाविस्तारित हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का हरियाणा अधिनियम सं. 28)

हरियाणा भ्रावासन बोर्ड भ्रधिनियम, 1971 को संशोधित करने के लिए भ्रधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मंडल ढारा निम्नलिखित रूप में यह ग्रधिनियमित हो :----

संक्षिप्त नाम 1

यह ग्रधिनियम हरियाणा झावासन बोर्ड (संशोधन) ग्रधिनियम, 1976 कहा जा सकता है।

[PART II—SEC. 3(i)]

1971 के हरियाणा अधिनियम 20 में धारा 72क का अन्तः स्थापन ।

2. चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्न में यथाप्रवृत्त हरियाणा ग्रावासन बॉर्ड ग्रधिनियम, 1971 की धारा 72 के बाद निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, ग्रर्थात् ---

"72क ग्रपील---(1) इस ग्रधिनियम के किसी श्रन्थ उपबंध में श्रभिव्यक्त रूप से यथा ग्रन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस ग्रधिनियम या इसके श्रधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के ग्रधान बोर्ड के किसी ग्रधिकारी या श्रध्यक्ष के मूल या श्रपीली ग्रादेश के विरुद्ध कोई ग्रपील निम्नलिखित को हो सकेगी---

(क) ग्रध्यक्ष को, जब ग्रादेश, बोर्ड के किसी ग्रधिकारों द्वार। किया गया हो ।

(ख) बोर्छ को, जब श्रादेश श्रध्यक्ष ढारा किया गया हो।

(2) ऐसे प्रत्येक अपील ग्रादेश के सूचित किए जाने की तिथि से तीम दिन की श्रयधि के भीतर की जा सकेगी:

परन्तु ग्रध्यक्ष या बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, तीस दिन की ग्रवधि की समाप्ति के बाद भी ग्रपील ग्रहण कर सकता है यदि यह समग्रा जाए कि श्रपीलार्थी समय पर श्रपील दायर करने के पर्याप्त हेतुक द्वारा निर्वारित था।''

उपाबंध-2

चंडीगढ संघ राज्यक्षेत्र को यथाविस्तारित

हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संशोधन) ग्राधनियम, 1979

(1979 का हरियाणा ग्रधिनियम सं. 20)

हरियाणा ग्रावासन बोर्ड ग्रधिनियम, 1971 को संशोधित करने के लिए

ग्रधिनियम

संक्षिप्त नाम :

1. यह ग्राधनियम हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संणोधन) ग्राधनियम, 1979 कहा जा सकेगा।

1971 हरियाणा म्रधिनियम 20 में धारा 7 क का ग्रन्तःस्थापन ।

2. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त हरियाणा ग्रावासन बोर्ष्ड ग्रधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल ग्रधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के पश्वात्, निम्नलिखित धारा ग्रन्तःस्थापित की जाएगी और सदैव ग्रन्तःस्थापित की गई समझी जाएगी, ग्रर्थात् :----

"7क-ग्रध्यक्ष तथा सदस्यों का प्रशासक के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करना--इस अधिनियम की धारा 3 या धारा 7 या किसी ग्रन्थ उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का अध्यक्ष तथा उमके सदस्य प्रशासक के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेंगे।" 1971 के हरियाणा ग्रधिनियम, 20 की धारा 72 का प्रतिस्थापन ।

मूल ग्रधिनियम की धारा 72 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, और सदैव रखी गई समझी जाएगी, ग्रथॉत् :- "72. बोई पर प्रणासक का नियंत्रण :--(1) प्रशासक बोई और उसके ग्रधिकारियों पर ग्रधीक्षण तथा नियंत्रण रखेगा और

72. बाइ पर प्रशासक का नियक्षण .⊸(1) प्रशासक बाड जार उसके आवकारिया पर अधावण तथा नियंत्रण रखगा आर यह ऐसी जानकारी मंगा सकता है जिसे वह झावण्यक समझे, और उसके इस बात के लिए संतुष्ट हो जाने पर कि बोर्ड उचित रूप में कार्य नहीं कर रहा है या श्रयनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या भ्रष्टाचार या कुव्यवस्था का दोपी है, वह प्रधिसूचना द्वारा, बोर्ड को निलंबित'कर सकता है।

परन्तु बोर्ड को, उसके निलंबन की तिथि से एक वर्ष की श्रवधि के भीतर, विहित रीति में पूनर्गठित किया जाएगा।

- (2) जब उपधारा (1) के ग्रधीन बोर्ड को निलंबित कर दिया जाता है तो उसके निम्नलिखित परिणाम होगे, ग्रर्थात :--
- (क) बोर्ड तथा उसकी समितियों के सभी सदस्य, जिनमें बोर्ड का श्रध्यक्ष शामिल है, ग्राधिसूचना की तिथि से, ग्रपने पद रिक्त कर देंगे।
- (ख) ऐसी सभी गक्तियों, कर्त्तव्य तथा कृत्य, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम के अधीन बोई या उसकी किसी ममिति द्वारा या बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा या बोर्ड के किसी भ्रन्म अधिकारी द्वारा प्रयोग में लाए जाने हैं, निलंबन की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा (जिसे विश्रोप अधिकारी कहा जाएगा) जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, प्रयोग की जाएगी तथा पालन किए जाएंगे;

परन्तु विग्नेष श्रधिकारी प्रशासक के अनुमोदन के श्रधीन रहने हुए, अपनी किन्हीं शक्तियों, कर्त्तव्यों या कृत्यों को ऐसे श्रन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे;

(ग) बोर्ड में निहित सभी संपतिथा, जिनमें बोर्ड-निधि शामिल है, उसके पुर्नगठित किए जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।''

4. लोप किया गया।

उपाबंध-3

चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के यथाविस्तारित

हरियाणा ग्रावास वोर्ड (संशोधन) ग्रथिनियम, 1980

(1980 का हरियाणा अधिनियम सं. 27)

हरियाणा ग्रावासन बोर्ड श्रधिनियम, 1971 को संशोधित करने के लिए ग्रधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कतीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल ढारा निम्नलिखित रूप मं यह म्रधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम :

 यह ग्रधिनियम हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संशोधन) ग्रधिनियम, 1980 कहा जा सकता है:---1971 के हरियाणा ग्रधिनियम, 20 की धारा 2 का संशोधन ।

2. चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत हरियाणा द्रावासन बोर्ड प्रधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल ग्रधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,—

(क) खंड (च) के बाद निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:---

"(चच)" मुख्य कार्यपालक अधिकारी ''से श्रभिप्रेत है, बोई का मुख्य प्रशासक'';

(ख) खंड (ट) में, ''ग्रध्यक्ष'' शब्द के स्थान पर, ''ग्रध्यक्ष'' तथा मुख्य कार्यपालक ग्रधिकारी'', गब्द रखे जाएंगे। 1971 के हरियाणा ग्रधिनिथम, 20 की घारा 3 का संशोधन।

3. मुल ग्रधिनियम की धारा 3 में,---

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, ग्रर्थात् :---

"(4) वोर्ड में प्रशासक ढारा नियुक्त किए गए एक ग्रध्यक्ष, एक मुख्य कार्यपालक ग्रधिकारी और सात ग्रन्थ सदस्य होंगे।"

(छ) उपधारा (5) में, "प्रध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "ग्रध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक श्रधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

1971 के हरियाणा प्रधिनियम, 20 की धारा 5 का संणोधन।

4. मुल ग्रधिनियम की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखिन धारा रखी जाएगी, ग्रथीत् :---

"5. ग्रध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति की छट्टी प्रशासक समय-समय पर अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, ऐसी छुट्टी दे सकती है, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञेंय हो और कोई व्यक्ति जिसे छुट्टी पर ऐसी अनुपस्थिति के दौरात अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्थान पर कार्य करने के लिए, प्रशासक नियुक्त करती है, जहां वह ऐसे कार्य कर रहा हो, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारो समझा जाएगा।"

1971 के हरियाण अधिनियम, 20 की धारा 7क का प्रंगोधन ।

1971 के हरियाणा प्रधिनियम, 20 की धारा 8 का संगोधन । 5. मूल अधिनियम की धारा 7क में तथा उसके उपान्तिक बाँर्ष में ''अध्यक्ष तथा सदस्यों'' शब्दों के स्थान पर, ''ग्रध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक ग्रधिकारी तथा ग्रन्य सदस्यों'' शब्द रखे जाएंगे ।

6. मूल श्रधिनियम की धारा 8 में,---

- (क) उपधारा (1) में, दो बार ग्राने वाले, ''ग्रध्यक्ष ग्रयवा सदस्य'' शब्दों के स्थान पर, ''ग्रध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक श्रधिकारी ग्रथवा ग्रन्य सवस्य'' शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उपधारा (2) में, "ग्रध्यक्ष या कोई सदस्य" शब्दों के स्थान पर, "ग्रध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक ग्रधिकारी श्रथवा कोई ग्रन्थ सदस्य" णब्द रखे जाएंगे ।

1971 के हरियाणा ग्रधिनियम, 20 की धारा 9 का संशोधन । 7. मूल अधिनियम की धारा 9 में, ''श्रध्यक्ष'' शब्द के स्थान पर, ''अध्यक्ष, एक मुख्य कार्यपालक प्रधिकारी'' शब्द रखें जाएंगे । THE GALETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 11-SEC. 3(i)]

1971 के हरियाणा प्रधिनियम, 20 की धार 8. मूल ग्राधनियम की धारा 10 में, ''ग्रध्यक्ष'' शब्द स्थान पर ''ग्रध्यक्ष, तथा 10 का संगोधन । मुख्य कार्यपालक ग्रधिकारी'' गब्द रखे जाएंगे । 1971 के हरियाणा ग्रधिनियम, 20 की धार 9. मुल श्रधिनियम को धारा 18 की उपधारा (1) में, "भ्रध्यक्ष" शब्द के स्थान 18 का संगोधन। पर "मुख्य कार्यपालक श्रधिकारो" शब्द रखे जाएंगे । 10. लोप किया जाएगा। 1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धार: 11. मूल श्रधिनियम की धारा 60 की उपधारा (4) में, "ग्रध्यक्ष" शब्द के स्थान 60 का संशोधन । पर "मुख्य कार्यपालक ग्रधिकारी" गड्य रखे जाएंगे। 1971 के हरियाणा श्राधनियम, 20 की धारा 12. मूल ग्राधिनियम की धारा 66 में, दो बार ग्राने वाले "ग्रध्यक्ष" शब्द स्थान 66 का संशोधन । पर, "मुख्य कार्यपालक ग्रधिकारी" शब्द रखे जाएंगे । 1971 के हरियाणा प्रधिनियम, 20 में धारा 13. मूल भ्रधिनियम की धारा 68 बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी. 68-क का म्रन्तःस्थापन। ग्रथति :---"68क. प्रत्यायोजन—–बोर्ड, संकल्प द्वारा प्राधिकृत कर सकता है कि इस अधिनियम या इस के अधीन बनाए, गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई शक्ति, विनियम बनाने की शक्ति के सिवाए,

उपाबंध-4

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित

हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संगोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का हरियाणा ग्रधिनियम सं. 10)

हरियाणा ग्रावासन बोई ग्रधिनियम, 1971, को संशोधित करने के लिए ग्रधिनियम

सकता है।

भारत गणराज्य के सैंतीमत्रें वर्ग में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह ब्रधिनियमित हो :---

1. यह ग्रधिनियम हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संणोधन) ग्रथिनियम, 1986 कहा जा

मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षारा भी प्रयोग की जा सकती है।"

संक्षिप्त नाम :

1971 के हरियाणा प्रधिनियम, 20 में धारा 72कख का ग्रन्तःस्थापन । चंडोगढ संघ राज्यक्षत्र में यथा प्रवृत्त हरियाणा ग्रावासन बोर्ड ग्रधिनियम, 1971 की धारा 72क के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, ग्रर्थात् :---

"72ख. पुनरीक्षण: ----प्रशासक या तो स्वप्रेरणा ने ग्रथवा किसी पक्षकार के ग्रावेदन पर, बोर्ड, बोर्ड के ग्रध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक ग्रधिकारी ग्रयवा ग्रधिकारी द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों ग्रथवा किए गए निश्चय ग्रथवा ग्रादेश के ग्राभिलेख को किए गए किसी निश्चय या ग्रादेश की वैधता ग्रथवा ओचिन्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिए मंगवा सकता है तथा परीक्षण कर सकता है नथा यदि किसी मामले में प्रणासक] को यह प्रतीत हो कि ऐसा कोई निश्चय ग्रथवा ग्रादेश उपांतरित, निष्प्रभाव ग्रथवा पुनरीक्षित किया जाना चाहिए तो प्रशासक उससे प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का ग्रवसर देने के पश्चात उस पर ऐसे ग्रादेश कर सकता है जो वह उचित समझे।"

6

[माग II--खण्ड 3(i)]

[भाग IIखण्ड 3(i)]	भारत का राजपतः झसाध।रण	7
	ਰਾ	राबंध-5
	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्न को यथा विस्तारित	
	हरियाणा श्रावासन बोर्ड (संशोधन) श्रधिनियम, 1989 (1989 का हरि नियम सं. 10)	याणा ग्रधि-
	हरियाणा श्रावासन बोई ग्रधिनियम, 1971 को संशोधित करने के ति भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वार रूप में यह ग्रधिनियमित हो :—	
संक्षिप्त नामः	 यह अधिनियम हरियाणा ग्रावासन बोर्ड (संशोधन) ग्रधिनियम, जा सकता है। 	1989, कहा
1971 के हरियाणा श्रधिनियम 20 की धारा 11 का संगोधन ।	2. चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेद्व में यथा प्रवृत्त हरियाणा आवासन नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पण्चात् मूल श्रधिनिथम कहा गया 11 की उपधारा (2) के परंपुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन जायेगा, ग्रर्थान् :	है), की धारा
	''परंसु इस प्रयोजन को लिए ऐसे पदों को प्रवर्गों को बारे में ढारग ग्रधिसूचना ढारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें, प्रक स्वीक्रति प्राप्त की जायेगी ।'' ।	
1971 के हरियाणा म्राधिनियम 20 की धारा 39 का संणोधन ।	3. मूल ग्रधिनियम को धारा 39 की उपधारा (1) के परंषुक निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, ग्रर्थात् :	के स्थान पर,
	''परंतु पचास लाख रुपये से ग्रधिक मूल्य की भूमि के कय की ग्रथवा पांच वर्ग से ग्रधिक के पट्टे की दक्षा में प्रशासक का पूर किया जायेगा।	
1971 के हरियाणा श्रधिनियम 20 की धारा 52 का संगोधन ।	4. मूल श्रधिनियम की धारा 52 में, ~−	
	(क) उपान्तिक शीर्ष में, ''किरायें'', शब्द के स्थान पर, ' शब्द रख दियेे जाएंगे;	'किराए, कर्जे''
	(ख) उपधारा (1) में,	
	(i) "बोर्ड के किसी परिसर के बारे में संदेय किरायेे" श ग्रथवा बोर्ड ढारा गृह के सन्निर्माण, पुनः सन्निर्माण लियेे दियेे गयेे किसी कर्जे के बारे में संदेय किण्तों के रख दियें जायेंगे;	या मरम्मत के
	 (ii) ''किराए का बकाया'' शब्दों के परुचात् ''या कर्जे के बकाया" शब्द रख दिये जायेंगे । 	की किश्तों का
	5. लोप किया गया ।	
	6. लोप किया गया ।	

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 1991

G.S.R. 127(E):—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hreby extends to the Union territory of Chandigarh, the enactments specified in column (1) of the Schedule hereto annexed, as in force in the State of Haryana at the date of this notification, subject to the restrictions and modifications specified in the corresponding entires in column (2) of the Schedule:-

SÇ	HE	DU	LE

ENACTMENTS	RESTRICTIONS AND MODIFICATIONS
(1)	(2)
 Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1976 (Haryana Act No. 28 of 1976) 	In section 2 of the Haryana Housing Board (Amendment) Act 1976, in the opening paragraph, for the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971", the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.
 The Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1979 (Haryana Act No. 20 of 1979). 	 In section 2 of the Haryana Housing Board (Amendment Act 1979 (hereinafter referred to as the said Act of 1979):— in the opening paragraph, for the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971", the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be sub- stituted; and
	(ii) in section 7A which was directed to be inserted in the principal Act, for the words "State Government", both in the heading and in the text, the word "Administrator" shall be substituted.
2	2. In section 3 of the said Act of 1979, in section 72 which was directed to be substituted in the principal Act,
	 (i) in the heading, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted;
	(ii) in sub-section (1),—
	 (a) for the words "State Government" the word 'Adminis- trator" shall be substituted;
	(b) for the words "it may", wherever they occur, the words "he may" shall be substituted; and
	(c) for the words "its being", the words "his being" shall be substituted;
	(iii) in sub-section (2), -
	 (a) in clause (b) and in the proviso to that clause, for the word "administrator", the words "special officer" and for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted; and

[भाग II--- बण्ड 3(i)]

1

(b) in clause (c) for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted.

2

- 3. Section 4 of the said Act of 1979 shall be omitted.
- 3. The Haryana Housing Board (Amendmen.) Act, 1980 (Haryana Act 27 of 1980).
- 1. In section 2 of the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1980 (Hereinafter referred to as the said Act of 1980), in the opening paragraph, for the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971", the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971, as in force in the Union tenitory of Chandigarh" shall be substituted.
- Throughout the said Act of 1980, for the words "Chief Administrator" wherever they occur, the words "Chief Executive Officer" and for the words "State Government" the word "Administrator" shall be substituted.
- 3. In section 3 of the said Act of 1980, in sub-section (4) whic was directed to be substituted in the principal Act-
 - (i) for the words "and such other members not more than twelve and not less than six as the State Government may from time to time, by notification, appoint, the words "and seven other members appointed by the Administrator" shall be substituted; and
 - (ii) the proviso shall be omitted.
 - 4. Section 10 of the said Act of 1980 shall be omitted.
- In section 2 of the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1986—
 - (i) in the opening paragraph, for the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971' the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted:
 - (ii) in section 72B which was directed to be inserted in the Principal Act,—
 - (a) for the word "Government" wherever it occurs, the word "Administrator shall be substituted;
 - (b) for the words "Chief Administrator", the words "Chief Executive Officer" shall be substituted;
 - (c) for the word "itself", the word "himself" shall be substituted; and
 - (d) for the words "it may deem fit", the words "he may deem fit" shall be substituted.

4. The Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1986 (Haryana Act 10 of 1986). 5. The Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1989 (Haryana Act No. 10 of 1989). 1. In section 2 of the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1989 (hereinafter referred to as the said Act of 1989),---

 (i) in the opening paragraph, for the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971", the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted; and

- (ii) in the proviso which was directed to be substituted in the principal Act.--
 - (a) for the words "State Government" the word "Administrator" shall be substituted; and
 - (b) for the words "by it", the words "by him" shall be substituted.
- 2. in section 3 of the said Aot, of 1989 .--
 - (i) in opening paragraph, for the words "following provisos" the words "following proviso" shall be substituted;
 - (ii) in the first proviso which was directed to be substituted in the principal Act for the words "State Government", the words "Administrator" shall be substituted; and
 - (iii) the second proviso which was directed to be added in the principal Act, thall be omitted.
- 3. Section 5 and section 6 of the said Act of 1989 shall be omitted.

[No. U-11015/4/89-UTL] S. DUTTA, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

THE HARYANA HOUSING BOARD (AMENDMENT) ACT, 1976 (HARYANA ACT No. 28 OF 1976) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

AN

ACT

to amend the Haryana Housing Board Act, 1971.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twnety-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

- Insertion of section 72-A in Haryana Act 20 of 1971.
- 1. This Act may be called the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1976.
- 2. After section 72 of the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh, the following section shall be inserted, namely:-
- "72-A. Appeal.—(1) Save as otherwise expressly provided in any other provision of this Act, an appeal shall lie from an original or appellate order of any officer of the Board

[माग II---खण्ड 3(i)]

or the Chairman under this Act or any rule or regulation made thereunder—

- (a) to the Chairman when the order is made by any officer of the Board;
- (b) to the Board when the order is made by the Chairman.
- (2) Every such appeal shall be preferred within a period of thirty days of the date of communication of the order:

Provided that the Chairman or the Board, as the case may be, may entertain the appeal after the expiry of the period of thirty days if it is considered that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time."

ANNEXURE-II

THE HARYANA HOUSING BOARD (AMENDMENT) ACT, 1979 (HARYANA ACT No. 20 of 1979) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

AN ACT

to amend the Haryana Housing Board Act, 1971.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

- 1. This Act may be called the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1979.
- 2. After section 7 of the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh (hercinafter referred to as the principal Act), the following section shall be inserted and shall always be deemed to be have been inserted, namely:-
- "7A. Chairman and members to hold office during pleasure of Administrator.—Notwithstanding anything contained in section 3 or section 7 or any other provision of this Act, the Chairman and members of the Board shall hold office during the pleasure of the Administrator."
- 3. For section 72' of the principal Act, the following section shall be substituted and shall always be deemed to have been substituted, namely:-
- "72. Control of Administrator over Board .--
 - (1) The Administrator shall exercise superintendence and control over the Board and its officers and may call for such information as he may deem necessary and, in the event of his being satisfied that the Board is not functioning properly or is abusing its powers or is guilty

Substitution of scotio n 72 of Haryana Act 20 of 1971. of corruption or mismanagement, he may, by notification, suspend the Board:-

Provided that the Board shall be reconstituted, within a period of one year from the date of its suspension, in the prescribed manner.

- (2) When the Board is suspended under sub-section (1), the following consequences shall ensue, namely:-
 - (a) all members of the Board and its committees, including the Chairman of the Board, shall, from the date of the notification, vacate their offices;
 - (b) all powers, duties and functions, which under the provisions of this Act or any regulation made thereunder, are to be exercised by the Board or any committee thereof or by the Chairman of the Board, or by any other officer of the Board, shall, during the period of suspension, be exercised and performed by such person (to be called the special officer) as may be appointed by the Administrator in this behalf:

Provided that the special officer may, subject to the approval of the Administrator, delegate any of his powers, duties, or functions to such other person as he may think fit;

- (c) all properties, including the Board Fund vested in the Board shall, until it is reconstituted,, vest in the Central Government".
- 4. Omitted.

ANNEXURE-III

THE HARYANA HOUSING BOARD (AMENDMENT) ACT, 1980 (HARYANA ACT NO. 27 OF 1980) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

AN

ACT

to amend the Haryana Housing Board Act, 1971.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

Amendment of section 2 of Haryana Act 20 of 1971.

- 1. This Act may be called the Haryana Housing Board (Am and ment) Act, 1980.
- 2. In section 2 cf the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act),-
 - (a) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(ff) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Board"
 - (b) in clause (k), for the word "Chairman", the words "Chairman and the Chief Executive Officer" shall be substituted.

(भाग II---खण्ड 3(i)]

Amendment of section 3 of Haryana Act 20 of 1971.

Amendment of section 5 of Haryana Act 20 of 1971.

Amendment of section 7A of Haryana Act 20 of 1971.

Amendment of section 8 of Haryana Act 20 of 1971.

Amendment of section 9 of Haryana Act 20 of 1971.

Amendment of section 10 of Haiyana Act 20 of 1971.

Amendment of section 18 of Haryana Act 20 of 1971.

Amendment of section 60 of Haryana Act 20 of 1971.

3. In section 3 of the principal Act,-

- (a) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namly :-
 - "(4) The Board shall consist of a Chairman, a Chief Executive Officer and seven other members appointed by the Administrator;"
- (b) in sub-section (5) for the word "Chairman", the words "Chairman, the Chief Executive Officer" shall be substituted.
- 4. For section 5 of the principal Act, the following section shall be substituted namely:-
 - "5. Leave of absence of Chairman and Chief Executive Officer .- The Administrator may, from time to time, grant to the Chairman and the Chief Executive Officer such leave as may be admissible under the rules made under this Act and any person whom the Administrator appoints to at for the Chairman or the Chief Executive Officer during such absence on leave shall, while so acting, be deemed, for all purposes of this Act, to be the Chairman or the Chief Executive Officer, as the case may be".
 - 5. In section 7-A of the principal Act and the marginal heading thereto, for the words "Chairman and members", the words "Chairman, Chief Executive Officer and other members" shall be substituted.
 - 6. In section 8 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (1), for the words "Chairman or member" occurring twice, the words "Chairman, Chief Executive Officer or other member" shall be substituted;
 - (b) in sub-section (2), for the words "Chairman or any member" the words "Chairman, a Chief Executive Officer or any other member" shall be substituted.
 - 7. In section 9 of the principal Act, for the word "Chairman" the words "Chairman, a Chief Executive Officer" shall be substituted.
 - 8. In section 10 of the principal Act, for the word "Chairman" the words "Chairman and the Chief Executive Officer" shall be substituted.
 - 9. In sub-section (1) of section 18 of the principal Act, for the words "the Chairman", the words "the Chief Executive Officer" shall be substituted.
 - 10. Omitted
 - 11. In sub-section (4) of section 60 of the principal Act, for the word "Chairman", the words "Chief Executive Officer" shall be substituted.

[PART II-SEC. 3(i)]

Amendment of section 66 of Haryana Act 20 of 1971.

Insertion of section 68-A in Haryana Act 20 of 1971.

- 12. In section 66 of the principal Act, for the word "Chairman" occurring twice, the words "Chief Executive Officer" shall be substituted.
- 13. After section 68 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
- "68A. Delegation.—The Board may, by resolution, authorise that any power excreisable by it under this Act or the rules or regulations made thereunder, except the power to make regulations, may also be exercised by the Chief Executive Officer."

ANNEXURE IV

THE HARYANA HOUSING BOARD (AMENDMENT) ACT, 1986

(Haryana Act No. 10 of 1986) AS EXTENDED

TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

AN

ACT

to amend the Haryana Housing Board Act, 1971.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

Insertion of section 72B in

Haryana Act 20 of 1971.

1. This Act may be called the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1986.

- 2. After section 72A of the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh, the following section shall be inserted, namely:-
 - "72B. Revision.—The Administrator may either suo moto or on an application of a party, call for and examine the record of any proceedings or decision or order passed by the Board. Chairman, Chief Executive Officer or Officer of the Board for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision or order passed and if in any case it shall appear to the Administrator that any such decision or order should be modified, annulled or revised, the Administrator may, after giving the persons affected thereby an opportunity of being heard, pass such order thereon as it may deem fit.",

14

[HII [[-- Waa 3(i)]

ANNEXURE V

THE HARYANA HOUSING BOARD (AMENDMENT) ACT, 1989 (Haryana Act No. 10 of 1989) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

AN

ACT

to amend the Haryana Housing Board Act, 1971.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

Amendment of section 11 of Haryana Act 20 of 1971.

Amondment of section 39 of Haryana Act 20 of 1971.

Amendment of section 52 of Haryana Act 20 of 1971.

- 1. This Act may be called the Haryana Housing Board (Amendment Act, 1989.
- 2. For the proviso to sub-section (2) of section 11 of the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter called the principal Act), the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the previous sanction of the Administrator shall be obtained for this purpose, in respect of such categories of posts as may be specified by him from time to time, by notification.".

3. For the proviso to sub-section (1) of section 39 of the principal Act, the following proviso shall be substituted namely:-

"Provided that the previous approval of the Administrator shall be obtained in case of purchase or exchange involving land worth more than fifty lakhs rupees or lease for more than five years."

- 4. In section 52 of the principal Act,-
 - (a) in the marginal heading for the word "rent", the words "rent loan" shall be substituted;
 - (b) in sub-section (1),-
 - (i) after the words "any Board premises" the words "or arrears of instalments payable in respect of any loan advanced by the Board for construction recenstruction or repair of a house" shall be inserted;
 - (ii) after the words "fails to pay the arrears of rent" the words "or the arrears of instalment of loan" shall be inserted.
- 5. Omitted.
- 6. Omitted.

Printed by the Manager, Govt. ol India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991